रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 21 नवम्बर, 1990/30 कार्तिक, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)61/89.—क्योंकि पंचायत निरीक्षक चौपाल द्वारा ग्राम पंचायत चांजु का निरीक्षण 14-1-90 को किया गया एवं निरीक्षण पत्र के भली भान्ति अध्ययन से पाया गया कि श्री भुपिन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत चांजु, विकास खण्ड चौपाल निम्न अनियमितताओं तथा गबन सम्बन्धी आरोपों में संलिप्त पाए गए हैं:—

1. यह कि श्री भुपिन्द्र सिंह ने 13-3-88 से 1/90 तक ग्राम सभा की बैठकें नहीं बुलाई तथा, ग्राम सभा से बजट अनुमोदित करवाए बगैर व्यय किया इस प्रकार वित्त नियमों की उलघना के दोषी पाए गए हैं ।

2. यह कि वर्ष 1986 के दौरान प्रधान ने प्राईमरी पाठशाला भवन चौपाल के निर्माण हेतू 2000 किलो गेहूं जिसकी कीमत 3,000/- रु0 थी प्राप्त किया। प्राप्त गेहूं का प्रधान द्वारा न तो स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया है और न ही इस स्कूल का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ।

3. यह कि 7-2-73 को प्रधान द्वारा श्री रणजोध सिंह को 1,000/- रु0 की पेशगी लालपानी पुल

निर्माण हेतू दी गई परन्तु जब 12/73 को 3,515/- रुपये का हिसाब नहीं लिया गया तो पेशगी वापिस दिखाया तो मु0 1,000/- रुपये का कोई हिसाब नहीं लिया तथा रणजोध, सिंह से पेशगी वापिस नहीं दिखाई। इस प्रकार मु0 1,000/- रुपये की राशि के गबन में संलिप्त हैं ।

4. यह कि उक्त श्री भुपेन्द्र सिंह ने 17-10-89 को पंचायत के खाते से सहकारी बैंक चौपाल से बिना पंचायत की अनुमति के मु0 3,000/- रुपये की राशि निकाली और उसे निजी प्रयोग में लाया । इस राशि को 12-1-90 तक पंचायत रोकड़ में वापिस जमा बैंक नहीं दर्शाया । इस प्रकार वह अस्थाई गबन में संलिप्तहै/लगते हैं ।

5. यह कि उक्त प्रधान ने बिना पंचायत की स्वीकृति के जवाहर रोजगार योजना की राशि मु0 14,000/- रुपये सहकारी बैंक से निकाली तथा निजी प्रयोग में लाने के दोषी लगते हैं । पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार यह राशि प्रधान व सचिव के हस्ताक्षरों से ही बैंक से निकाली जानी थी ।

6. यह कि उक्त प्रधान द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए मु0 52,850/- रुपये की पेशगियां प्राप्त की गई जबकि हिसाब केवल मु0 15,975/- रुपये का ही दिया गया इस प्रकार मु0 36,875/- रुपये निजी प्रयोग में लाए ।

7. वर्ष 88-89 के बजट में ग्रामीण रास्तों की मुरम्मत के लिए स्वीकृत 3,000/- रुपये का प्रावधान था परन्तु उक्त प्रधान द्वारा बिना किसी स्वीकृति के 6,000/- रुपये का व्यय करके हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों की स्पष्ट उलंघना के दोषी पाए गए ।

8. यह कि उक्त प्रधान द्वारा पुल लालपानी के निर्माण पर 1,447.00 रुपये प्राथमिक पाठशाला भवन चौकिया पर 200/- रुपये, रास्ता बोधना के निर्माण पर 3975/- रुपये, खेल मैदान चौकिया पर 800/- रुपये तथा सिंचाई योजना धनोह पर 6.50 रुपये अनुदान के अधिक व्यय किये । इस प्रका उक्त प्रधान द्वारा 6,428.50 रुपये की कुल राशि अनुदान से अधिक व्यय की गई । इस प्रकार वित्तीय नियमों की स्पष्ट उलंघना करने के दोषी पाए गए हैं ।

9. यह कि उक्त प्रधान द्वारा श्री अमर सिंह को 6-4-87 को 800/- रुपये, विजा राम को 4-3-87 को 1,500/- रुपये, जयदेव सिंह को दिनांक 4-3-85 को तथा 20-6-88 को क्रमश: 150,00 रुपये तथा 2,000/- रुपये, विद्या प्रकाश को 17-3-79 को 200/- रुपये, जीता चौकीदार को 6-7-87 को 260/- रुपये, जगदीश चौकीदार को 18-4-88 को 600/- रुपये, कली राम, पंच को 24-8-85 व 26-9-85 को क्रमश: 800/- रुपये तथा 1,000/- रुपये, राम सरन उप-प्रधान को 6-6-88 को 2,819.50 रुपये, सही राम, पंच को 6-3-87, 4-4-89 व 19-5-89 को क्रमश: 2,500/- रुपये, 4,000/- रुपये, 5,000/- रुपये तथा श्याम लाल, पंच को 19-5-89 को 600/- रुपये पेशगियां दी गई परन्तु उन द्वारा राशियों की वसूली बारे कोई भी पग नहीं उठाए गए इस प्रकार उक्त प्रधान ने स्पष्टतया: पंचायत को वित्तीय हानि पहुंचाई ।

10. यह कि उक्त प्रधान द्वारा 6 स्टाल किराये पर दिए गए जिनका किराया 40,850 रुपये वसूल होना था परन्तु प्रधान द्वारा केवल 7,075/- रुपये के रूप में वसूल किये गए। इस प्रकार प्रकार प्रधान ने 37,775/- रुपये किराये के रूप में वसूल न करके पंचायत को क्षति पहुंचाई ।

11. 1985 में ग्राम पंचायत चांजु को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के फलस्वरूप उपायुक्त, शिमला द्वारा दिनांक 11-11-87 को 6,999.50 रुपये स्वीकृत किए गए परन्तु इस राशि का न तो कोई प्रयोग किया गया तथा न ही कोई हिसाब दिया गया ।

12. यह कि वर्ष 1980 में नेवटीस मार्ग की मुरम्मत हेतू 1,500/- रुपये का अनुदान दिया गया । इस कार्य हेतू उक्त प्रधान द्वारा आज तक न तो कोई कार्य आरम्भ कराया गया और न ही कोई हिसाब-किताब

दिया गया तथा न ही इस राशि को वापिस किया । इस प्रकार उक्त प्रधान राशि के दुरुपयोग के दोषी पाए गऐ ।

13. उक्त प्रधान पंचायत घर की मुरम्मत मु0 1,290/-रुपये की बिना अनुमान पत्र तथा बिना मूल्यांकन के करवा कर वित्तीय नियमों की उलंघना के दोषी पाए गए हैं।

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए मामले में नियमित जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अत : हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, को कथित आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए एवं जनहित में जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, शिमला के माध्यम से रिकार्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को एक मास के भीतर प्रेषित करेंगें ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 नवम्बर, 1990

नं0 एल0 एस0 जी0 ए(4)-35/81-II.—चूंकि अधिसूचित क्षेत्र समिति ढली, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा सदस्यों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है ।

अत: अब हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (अधिनियम नं0 19 आफ 1968) की धारा 257 की उप-धारा (1) के (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को अधिसूचित क्षेत्र समिति ढली के लिए तत्काल तीन वर्ष के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

सरकारी सदस्य :

1. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) ग्रामीण, शिमला	..	प्रधान
2. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मशोबरा	..	सदस्य
3. सहायक अभियन्ता, हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 स्टोर सब-डिवीजन नं0 2, ढली	..	सदस्य
4. खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा	..	सदस्य
5. एस0 एच0 ओ0, थाना ढली, शिमला-12	..	सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री वी0 आर0 डोगरा सुपुत्र श्री पी0 आर0 डोगरा, प्रधान व्यापार मण्डल, ढली	..	सदस्य

2. श्री बनारसी लाल प्रभाकर सुपुत्र श्री मकुन्द लाल प्रभाकर, गुरचरण दास, विज विल्डिंग, ढली .. सदस्य

3. श्री परस राम गर्ग सुपुत्र श्री फिनू राम, न्यूब्राइट टेलर, ढली (अनु० जाति०) .. सदस्य

4. श्री सुरिन्द्र पाल सिंह सुपुत्र श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, निवासी ढली .. सदस्य

5. श्रीमती आशा रानी पत्नी श्री भगवान सिंह, ढली .. सदस्य

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश सप्तम विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-4, 7 नवम्बर, 1990

संख्या 1-19/90-वि० स०.—श्री विजयेन्द्र सिंह सदस्य को, पर्यटन तथा सम्बन्ध विषयों की समिति से उनकी लगातार अनुपस्थिति तथा व्यस्तता को देखते हुए, जैसा उन्होंने पत्र द्वारा सूचित किया है, अध्यक्ष महोदय ने उस समिति के कार्यभार से तत्काल मुक्त कर दिया है।

2. रिक्त स्थान पर अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने श्री लज्जा राम, विधायक को मनोनीत किया है ।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव ।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER MANDI, DISTRICT MANDI

OFFICE ORDER

Mandi, the 9th November, 1990

No. PCN-MND-A(61)/85-II-3915-19.—In exercise of the powers vested in me under Rule 19(B) of the Himachal Pradesh Gram Panchayat Rules, 1971 [Read with notification No. PHH-RB(2)-19/76, dated 15th January, 1971] I, S. K. Justa, Additional Deputy Commissioner Mandi hereby accept the resignation of Shri Surender Pal, Pradhan Gram Panchayat Ner Gharbasara Development Block Drang with immediate effect.

The seat of Pradhan Gram Panchayat Ner Gharbasara Development Block Drang is also declared as vacant.

S. K. JUSTA,
Additional Deputy Commissioner,
Mandi District, Mandi.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।